"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2024 — फाल्गुन 2, शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 2, 1945)

क्रमांक–2954/वि.स./विधान/2024.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) जो बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./–

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक, 2024.

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर राजपत्र में राजिम माघी पुन्नी मेला क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किया जाये।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

प्रस्तावना का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006)(जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में विनिर्दिष्ट है), की प्रस्तावना में, शब्द ''माघी पुन्नी मेला'' के स्थान पर, शब्द ''कुंभ (कल्प) मेला'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 1 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (1) में, संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006'' के स्थान पर, संक्षिप्त नाम ''छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006'' प्रतिस्थापित किया जाये।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाऐं, अर्थात्:– धारा 2 का संशोधन.

''(7) ''मेला'' से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ (कल्प) मेला;''

5. मूल अधिनियम में शब्द ''माघी पुन्नी मेला'' जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''कुंभ (कल्प) मेला'' प्रतिस्थापित किया जाए । शब्द ''कुंभ (कल्प) मेला'' का प्रतिस्थापन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजिम मेले के आयोजन से छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है तथा राजिम मेले से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह प्रतिवर्ष माघ महिने की पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है।

2. यह एक वार्षिक आयोजन है। इस विषय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रतिष्ठित संतों ने राजिम कुंभ में ''कल्प'' शब्द जोड़ने का सुझाव दिया था। ''कल्प'' का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण या वास्तविक न होने पर भी बहुत कुछ किसी दूसरे की बराबरी का या समान हो। संतों एवं विशेषज्ञों द्वारा दिया गया सुझाव उचित प्रतीत होता है।

3. अतएव, छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्र. 22 सन् 2006) के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक है ।

4. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

बृजमोहन अग्रवाल
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 10 फरवरी,2024

उपाबन्ध

छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) के शीर्षक, प्रस्तावना, धारा 1 की उप–धारा(1)एवं (2) तथा धारा 2 की उप– धारा (7) के सुसंगत उद्धरण

1. शीर्षकः– छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006

2. प्रस्तावनाः–राजिम माघी पुन्नी मेला में उचित प्रबंधन उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम,

3. धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ की उप धारा (1) एवं (2) –

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम 2006 " होगा।

(2) यह ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा जो समय–समय पर शासन द्वारा राजपत्र में राजिम माघी पुन्नी मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये.

4. धारा 2– परिभाषाएं– उप–धारा (7) –

"(7) " मेला" से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला माघी पुन्नी मेला"

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2024.